न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय

(पीठासीन पदाधिकारी— श्री बिजेन्द्र कुमार)

गार्जियनशिप वाद संख्या— 05/2026

रानी कुमारी बनाम् राजू राय

आदेश दिनांक— 08.06.2026

1. आवेदिका की ओर से हाजिरी एवं वाद वापसी आवेदन दाखिल की गई है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद के पुकार पर आवेदिका न्यायालय में उपस्थित है।

2. सुना। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद आवेदिका रानी कुमारी के द्वारा विपक्षी राजू राय के विरुद्ध धारा—25 गार्जियन एवं वार्डस एक्ट 1990 के अन्तर्गत लाया गया है, किन्तु आवेदिका न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन करते हैं कि अपने पुत्र आर्यन कुमार उर्फ गोलू का सामाजिक स्तर से आवेदिका को प्राप्त हो चुका है, इसलिए इस वाद को नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस वाद को आगे लम्बित रखे जाने का कोई उचित व न्यायसंगत आधार/परिस्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है, जिस कारण इस वाद को खारिज करना ही विकल्प है। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह वाद, वाद पक्षकारों के बीच समझौते के अनुसार वापस लेने के आधार पर **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्रवाई के पश्चात् नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ह0/—

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, बेगूसराय।

08.06.2026